

जैसलमेर नगरपालिका गृह निर्माण उपनियम,

राजस्थान म्यूनिसिपैलिटीज एक्ट, १९५६ की धारा ६० की उपधारा १ के : (p) (g) (r) (s) (t) (u) & (ac) के अधीन बने जैसलमेर नगरपालिका गृह निर्माण उपनियम : बाइ-ताज : १९६०,

उपनियम

१. उपाधि:- यह उपनियम जैसलमेर म्यूनिसिपैलिटी के गृह निर्माण उपनियम कहलायेंगे ।
२. लागू होना :- (अ) यह राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन होने की तारीख से प्रभाव में पड़ेगे ।
(ब) यह जैसलमेर म्यूनिसिपैलिटी की हद में लागू होंगे ।
३. परिभाषायें:- इन उपनियमों में :-
(क) 'एक्ट' से मतलब राजस्थान म्यूनिसिपैलिटीज एक्ट, १९५६ से है ।
(ख) 'बोर्ड' से मतलब जैसलमेर म्यूनिसिपैलिटी बोर्ड से है ।
(ग) 'अध्यक्ष' से मतलब अध्यक्ष म्यूनिसिपैलिटी, जैसलमेर से है ।
४. नोटिस दिया जाना :- धारा १७० व १७२ के अनुसार सूचना :-
(क) कोई नया मकान बनाने या फिर से बढ़ा करने तथा मौजूदा मकान में रद्दोबदल करने का विचार रखने वाला व्यक्ति अपने धरादे की सूचना उपनियम में विस्तार किये गये पत्र में एक्ट की धारा १७० और १७२ के अनुसार अध्यक्ष या सचिव म्यूनिसिपैलिटी को देगा ।
(ख) ऐसा मकान बनाने या रद्दोबदल करने की स्वीकृति देने व अस्वीकृत करने का अधिकार अधिकार अध्यक्ष म्यूनिसिपैलिटी को होगा ।
(ग) रद्दोबदल का अर्थ बाहरी दीवार गली में ६ फीट से नीचे कोई खिड़की रोशनदान, हाजा रखा जाना या कमरे का तल बदला जाना होगा । यह ऊंचाई हर मंजिल के गंजन से लीनी जावेगी ।
५. नकशों का दिया जाना :-
(क) ऐसी सूचना के साथ जिस जमीन पर मकान बनाने का विचार है उसके मौके का नक्शा दो प्रतियों में एक इंच बीस फीट के बराबर से कम नहीं मानते हुए द्राफ्टिंग का काम देना होगा । जिसमें विस्तार बाते जरूर दिखाई जावेगी ।

:2:

उससे संबंधित सब बाहरी मकानों की स्थिति प्रकार और उपयोग प्रस्ता
मकान क्लग रंग से अंकित होंगे।

3. मकान और बाहरी मकानों द्वारा रोकी जाने वाली भूमि का विस्तार
4. पाखाने की स्थिति और मोरी सफाई का प्रस्तावित ढंग।
5. निकटवर्ती सड़कों, रास्तों, पुलों, नालों और मकान का वर्णन तथा नाम यदि कोई हो तो।
6. जिस रास्ते, सड़क व मोहल्ले में जमीन स्थित है उसका नाम, वार्ड का नम्बर
7. जहां बनाने के लिये प्रस्तावित मकान सड़क की सीमा पर मिलता हो तब
ऐसी सड़क की चौड़ाई जो यदि कोई मोरी हो तो उसके बाहरी किनारे
की और दोनों तरफ के मकानों की के बीच नापी जावेगी।
8. नीचे की और अन्य कोई नक्शा मय उसी पैमाने पर विभागों और उंचाई
के नक्शे सहित।
9. जाह की सतह और निकटवर्ती सड़कों या रास्तों के बीच की सतह के सिल
में नीचे और नीचे की तह या चौकी अथवा कुर्सी की सतह तथा नीचे की
गहराई और मोटाई।
10. चौकी या कुर्सी की दीवारों और चौकी के ऊपर की दीवारों की ऊंचाई
व मोटाई।
11. फर्श या फर्शी की लम्बाई, मोटाई और छत की नीचे की लम्बाई-चौड़ाई
12. मकान के सामने की सड़क या रास्ते निकटवर्ती बाल की मोरी के सम्बन्ध
में उसकी स्थिति।
13. मकान का मलबा हटाने के लिये 20 रुपये रहे जावें मगर मरम्मत के लिये
रुपये 10 ~~रु~~ जमा किये जावें।

बशर्त कि 1500 से कम कीमत के मकानों के लिये यह काफी होगा
कि लिखित रूप में म्यूनिसिपल बोर्ड को संतोष कराते हुए उन सतहों को
दिखला दिया जावे जिन पर कि नीचे व नीचे की तह रखी जानी है।

लाइसेंस व स्वीकृत नक्शा म्यूनिसिपलिटि के अधिकारियों व
अफसरों को सदा उस स्थान ^{पर} मिला करेगा।

6. सामान :-

1500 रुपये से ज्यादा कीमत के मकानों के लिये उनके नक्शों के साथ एक
विस्तृत विवरण लगा रहेगा जो सब शहतीरों, खंभों, पंक्तियों और छतम्यों की
लम्बाई-चौड़ाई को शामिल करते हुए उसके विभिन्न भागों को बनवाने के काम
में जाने वाले सामान की किस्म और रूपरेखा दिखलाई जावेगी।

7. कुछ जगहों की मनाही :-

मनुष्य के रहने के उचित से बनाये जाने वाले किसी मकान
किसी ऐसी जगह तक नहीं जावेगी जहाँ

की लाशों अथवा अन्य मेल या हानिकारक वस्तुओं से भरी हो या उनका जमा करने के काम में लाई जाती हो जब तक कि या तो म्यूनिसिपैलिटी के अधिकारी को संतोष कराने वाले ढंग से ऐसी वस्तुओं को उचित रूप में ले जाया जा सके या उसकी राय में नुकसान रहित हो चुकी हो।

८. म्यूनिसिपैलिटी के नाले पर मकान न बनाया जाना :-

९. म्यूनिसिपैलिटी की मोरी या नाली पर कोई मकान नहीं बनाया जावेगा।

१०. मकान की स्थिति या मौका :-

किसी भी नये मकान में रास्ते के सहारे की बाहरी दीवार मोरी को शामिल करते हुए रास्ते के किनारे से छड़ फीट से कम की दूरी पर स्थित नहीं होगी

१०. दीवारों की नींव :-

दीवारों की नींव और बनाये जाने वाले मकान की सबसे नीचे की तह के लिये किसी ठोस जमीन पर रौन्डी या कंकड़ की काफी मोटाई अथवा नींव के रूप में किसी ठोस या पर्याप्त नीचे के ढाँचे पर खड़े किये जाने चाहिये।

बशर्त कि ऐसे मकान की जाह की सतह पर या उसके पास याने दीवार की बुनियाद की सतह के तीन फीट के अन्दर जहाँ कोई ठोस चट्टान मिलती हो या पाई जाती हो और यदि चट्टान की सतह उचित रूप से साफ की गई हो और पर्याप्त कारीगरों द्वारा पहिले चिनाई के टैकी-मैदी करी हुई हो तो बुनियादी पहलुओं का बनाना छोड़ा जा सकता है।

११. चौकी या कुर्सी :-

उन मकानों के लिये जो किसी रास्ते या सड़क के ज्यादा पास बनाये जाते हैं कुरसी की ऊंचाई रास्ते की उस सतह से १।१ फीट से कम ऊपर नहीं होगी जहाँ कि वह मिलते हैं और उन मकानों के लिये जो कि रास्ते से दूरी पर बनाये जाते हैं उस ऊंचाई से कम नहीं होगी जो बोर्ड द्वारा नियत की जावेगी।

१२. धुंजाकस :-

चिनी बनाने वाला प्रत्येक व्यक्ति उसको इस तरह से बनायेगा कि उसके धुंजाकस मकान की कत से कम से कम चार फीट ऊंचा होगा।

१३. कमरे की ऊंचाई व क्षेत्रफल :-

क: किसी मकान में रहने के विचार से बनाये गये कत के कमरे को छोड़कर प्रत्येक कमरे की कम से कम ऊंचाई आंगन से अन्दर की कत तक आठ फीट से कम नहीं होगी।

ख: आंगन से अन्दर की कत तक कत के कमरे की औसत ऊंचाई सात फीट होगी।

ग: रहने के किसी कमरे की जमीन का क्षेत्रफल ५० वर्गफीट से कम नहीं होगा।

घ: रहने का कमरा वह है जो आदमियों के द्वारा सोने के काम में लाया जा सके।

च: कोई अलगने वाली दीवार जो किसी कमरे के अन्दर चार फीट

ज्यादा ऊंची नहीं होगी उस कमरों को इस तरह बांटती हुई नहीं मानी जायेगी जो उसके दो कमरे बने हुए माने जावे। मकान की परिस्थिति देखकर कमरे के चौत्रफल में कमी अध्यक्षा द्वारा की जा सकेगी।

१४. हवा के लिये खिड़कियाँ व रोशनदान:-

:क: ऐसे प्रत्येक कमरे में ऐसे दरवाजों और खिड़कियों द्वारा हवा और उजाले की व्यवस्था की जायेगी जो कम से कम २॥ फीट चौड़ी बाहरी खुली जगहों पर सीधी खुलती हों और जिसकी खुलावट का कुल चौत्रफल खुली जगह के सामने वाले कमरे की बाल के ऊपर नीचे के विस्तार के १।१० दसवें हिस्से से कम नहीं होगी।

:ख: वह कमरे के अन्दर ऐसी खुलावट रखने की कोशिश करेगा जिससे जब कभी वांछनीय हो तब हवा का फौका जा-जा सके। गन्दी हवा के निकालने के लिये कमरे के ऊपरी भाग के पास खुली जगह रखी जावेगी।

१५. मकान की ऊंचाई :-

Lu. de line

रास्ते की हद से मिलने वाले किसी मकान को बनाने वाला कोई व्यक्ति उसको इस तरह से नहीं बनायेगा कि खुले स्थान हों तो उनको शामिल करते हुए उसका कोई हिस्सा उसके ठीक सामने वाले रास्ते की चौड़ाई के दुगुने से ज्यादा की ऊंचाई पर हो बशर्ते कि यह उपनियम किसी व्यक्ति को मालिक मकान को उसी लम्बाई-चौड़ाई के साथ और उसी नक्शे पर किसी ऐसे मकान को फिर से बनवाने से बिल्कुल नहीं रोकता जो उसी जगह पर दो साल के दरमियान खड़ा था।

बशर्ते कि अध्यक्षा नगरपालिका मन्दिर की ध्वजा, मस्जिद या गिरजा-घर की मीनारों या और किसी ऐसे ही निर्माण के लिये ऊंचाई की शर्तें शिथिल कर सकेगा।

१६. हवा के फरोसे:-

कोई व्यक्ति जो एक्ट की धारा १७० व १७२ के अन्तर्गत कोई मकान बनाता है, उसमें कुछ जोड़ना है या कोई रद्दीबदल करता है तो वह अपनी जगह की सीमा से परे उस मकान का कोई स्थाई या अस्थायी हिस्सा इस तरह से हवा की तरफ उस हद से ज्यादा नहीं बढ़ायेगा, जितने के लिये उसको अध्यक्षा द्वारा साफ साफ आज्ञा मिल गई हो जिससे कि वह किसी नगरपालिका, सड़क, रास्ते या गली या उनके किनारे अथवा नगरपालिका की जमीन पर क्ला जावे या बाधा पहुँचावे।

१७. पानी के नाले :-

मकान के कूत पर के या दूसरे पानी के निकालने के लिये सब पानी के नाले दीवारों को कूने वाली जमीन तक ले जाये जावें और इस तरह से नहीं बनाये जावें कि उनसे आने-जाने वालों को दिक्कत और असुविधा करते हुए पानी पड़े अथवा नगरपालिका की जायदाद को नुकसान पहुँचावे। यह उपनियम इसके प्रभाव में आने से पूर्व म्यनिसिपैलिटी क्षेत्र के मौजदा मकानों के न - में

१८. खुलावट:-

कोई किवाड़, अस्तबल या अन्य मकानात इस तरह नहीं बनाये जायें कि खुले ढोड़ दिये जाने की दशा में वे नगरपालिका की जमीन पर बाहर निकल जायें।

१९. निरीक्षण:-

निरीक्षण में सुविधा देने के उद्देश्य से किसी मकान को बनवाने में नीचे लिखी मान्य अवस्थायें होंगी:-

१. नींव खोदना २. नींव भरना बुनियादी दीवार खड़ी करना ३. ऊपर का ढांचा और ४. आगे का सब काम-काज,

२०. निरीक्षण करने वाले अधिकारी :-

बोर्ड का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, सचिव अथवा बोर्ड के द्वारा उक्त अधिकृत किसी अधिकारी में होगा कि वह दिन भर में किसी भी उचित समय पर, उन इमारतों का निरीक्षण करे जिनके बनने का काम चालू है और जहां कोई लाइसेंस मंजूर किया गया है और वहां पर अपनी दिलजमी कर सकता है कि चालू काम लाइसेंस की शर्तों के अनुरूप ही बढ़ाया जा रहा है और मौजूदा उपनियमों के खिलाफ नहीं चल रहा है।

२०. :ब: कहीं कहीं मीरी की व्यवस्था करना :-

ऐसे मोहल्लों में जहां ऐसे स्थानों के मकान बनवाने की स्कीम में न लिये जाने के कारण पानी के विकास के लिये मीरियों और दैनिक सफाई की सुविधायें नहीं की गईं ही कोई रहने के घर तबतक नहीं बनाने दिये जायेंगे जब तक कि बोर्ड की सन्तोष कराते हुए उस जमीन का मालिक दैनिक सफाई और मीरियों की पर्याप्त व्यवस्था का प्रबन्ध स्वयं कर ले।

२१. मकान बनाने की जगह का क्षेत्रफल :-

१००×१०० फीट या उससे ज्यादा नाप वाली जमीन में नियम के तौर पर १।२ जाघा से ज्यादा जाह पर मकान नहीं बनाये जायेंगे बाकी सब हालतों में २।३ दो तिहाई जाह से ज्यादा जाह पर मकान नहीं खड़ा किया जायेगा। इसकी अन्दर स्पष्ट निर्दिष्ट सड़कों की सीमाओं से मिलने वाली जगहों और मकानों के लिये बोर्ड अपनी समझ के अनुसार मकान बनाने के लिये १।२ या २।३ से ज्यादा जमीन में मकान बनाने के लिये १।२ या २।३ से ज्यादा जमीन में मकान बनाने के लिये इजाजत दे सकता है जब जगह ४० फीट से कम हो उस हालत को छोड़कर साधारणतया मकान एक दूसरे से जुड़कर नहीं बनाये जायेंगे। प्रत्येक दो मकानों के बीच में जहां तक संभव हो अध्यक्ष द्वारा नियत कम से कम खुली जाह छोड़ी जायेगी यह न्यूनतम जगह किसी भी हालत में ३ फीट से कम चौड़ी नहीं होगी।

२२. मिट्टी की दीवारें :-

शहर की हद के अन्दर किसी भी मकान की दीवार अध्यक्ष की इजाजत के बिना सिर्फ कीचड़ या मिट्टी की नहीं बनाई जायेगी। मिट्टी की दीवार

२३. गड्ढे खोदना:-

रहने के मकान बनाने के लिये दी हुई जमीन में कोई गड्ढे नहीं खोद जावेंगे ।

२४. मकान बनाने की जगह का समतल बनाया जाना:-

प्रत्येक मकान का प्लाट ऐसे ढंग से समतल बनाया जायेगा कि बरसात का पानी जल्दी से जल्दी किसी जलमार्ग या नगरपालिका की मोरी में बहकर निकल जाय ।

२५. मकान के आगे का भाग:-

१. प्रत्येक मकान के एक उम्दा अग्रभाग रखा और मकान बनवाने में कोई भिंट जाने वाले या जाग पकड़ने वाले पदार्थों का उपयोग नहीं किया जायेगा ।

२. किसी भी नये मकान में रास्ते के सहारे की बाहरी दीवार या अग्रभाग उस रास्ते या सड़क के मध्य की लकीर से समानान्तर मकानों की कतार से आगे बढ़कर नहीं बनाया जायेगा ।

✓ (3) शहर की हद के अन्दर किसी भी ऐसी गली या रास्ते में, जिसकी चौड़ाई १५ फीट से कम हो चबूतरा के ऊपर कोई मकान नहीं बनाने दिया जायेगा ।

अध्यक्ष परिस्थिति माफिक कम ज्यादा कर सकेगा ।

२६. पाखाना या पाखाने के ऊपर इमारत बनाना:-

१. शहर की हद के अन्दर इस उपनियम के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपने मकान के अन्दर बोर्ड द्वारा प्रमाणित पाखाने के सिवाय किसी भी अन्य प्रकार का पाखाना नयेसर नहीं बना सकेगा । पाखाने का पानी किसी भी प्रकार गली में नहीं जायेगा और उसके छिये गड्ढा :शालपिट: अपने खर्च से बनायेगा ।

२. किसी पुराने या नये पाखाने के ऊपर कोई व्यक्ति दूसरा पाखाना, नहाने की जाह या स्नान-गृह को ढोकर कोई कमरा या और कोई किस्म का ढांचा नहीं बनायेगा ।

२७. किसी बात की सूचना :-

आर किसी व्यक्ति को इन नियमों के सिलसिले में किसी चीज के मतलब या यथार्थ वाशय या उसकी मन्शा के बारे में कोई सन्देह या कठिनाई हो तो वह किसी मकान की नया बनवाने या फिर से सड़ा करने के हरादे की सूचना देने के पूर्व बोर्ड के अध्यक्ष या सचिव के पास आवेदन-पत्र भेजेगा जो ऐसी जर्नी के मिलने पर एक सप्ताह के अन्दर उपर्युक्त व्यक्ति को ऐसी सूचना देगा जो कि ऐसी परिस्थिति में आवश्यक होगी ।

२८. किसी विशेष आशय के लिये नोटिश देना :-

आर बोर्ड को ऐसा लगे कि नये मकानों सम्बन्धी किसी उपनियम की किसी तरह का अवहेलना या उल्लंघन की गई होती वह एक ऐसा लिखित नोटिश देने के लिये स्वतन्त्र होगा । मकान का मालिक नोटिश में लिखित समय

से होगा जिसमें कि ऐसे मकान बनवाना ऐसे किसी उपनियम के विरुद्ध जाता हो।

२६. मकानों के बन चुकने की सूचना :-

क. मकान बनवाने वाला प्रत्येक व्यक्ति ऐसे मकान के निर्माण के पूरा होने के बाद एक माह के अन्दर ऐसे मकान के पूरा बन चुकने की लिखित सूचना बोर्ड के अध्यक्ष के पास देगा।

ख. मकान सम्पूर्ण होने की सूचना प्राप्त होने पर नगरपालिका अधिकारी अपने किसी भी मातहत कर्मचारी द्वारा इस बात की जांचकरवायौ कि आया मकान - मालिक ने मकान की तामीर सम्बन्धी कंकड़, पत्थर, मलबा आदि उठाकर जमीन बिल्कुल साफ कर दी है। जमीन सफाई की तसल्ली होने पर ही मकान-मालिक धारा के अनुसार जमा कराई गई अमानत की रकम नगरपालिका कार्यालय से उठाने का अधिकारी होगा।

३०. व्यक्तिगत मामलों की खास बातें :-

इन उपनियमों में निहित किसी भी चीज के बावजूद यह उनके विवेक में अध्यक्ष नगरपालिका के अधिकार में होगा कि व्यक्तिगत मामलों में खास शर्तें लगा दें बशर्ते कि वे एक्ट के नियमों से असंगत न हो : या मेल खाती हों।

३१. तामीर की फीस :-

इन उपनियमों के अन्तर्गत ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को मकान की तामीर प्रारंभ करने से पूर्व बोर्ड के कार्यालय में नीचे लिखे प्रयोजनों के लिये उनके सामने अंकित फीस जमा कराना लाजिमी होगा।

१. छप्पा-	११- रूपया प्रति वर्ग गज.
२. गैलेरी-	२१- रूपया प्रति वर्ग गज.
३. रीशनदान व खिड़की -	११- रूपया प्रति नॉ.
४. दरवाजे-	२१- रूपया प्रति दरवाजा.
५. तार्थ -	२१- रूपया प्रति तार्थ.

कुल फीस रुपये १५१- से ज्यादा नहीं होगी।

३२. सजा :-

प्रत्येक व्यक्ति उपनियम ५ :क. ८ से २०, २०:आ से २६, २८, २६ और ३१ में से किसी का उल्लंघन करेगा तो मजिस्ट्रेट के सामने अपराध साबित होने पर २०० :दो सौ: रुपये से ऊपर न जाने वाले जुमाने तक का मागी होगा और एक्ट की धारा के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति बिना अध्यक्ष नगरपालिका की आज्ञा में कोई तामीर करायेंगा तो वह एक्ट की धारा की उपधारन के अनुसार सजा का भागी होगा।

३३. इन उपनियमों के अन्तर्गत कोई भी सम्बन्धित व्यक्ति नगरपालिका द्वारा जारी हुए किसी भी आदेश की अपील नगरपालिका बोर्ड से आदेश प्राप्त होने की तारीख से तीस दिनों के भीतर २ ही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को की जा सकेगी और

३४. कोई भी नक्शा तामीर ड्राफ्ट्समैन, सर्वेयर, जोवरसियर या ऐसे आखमी से तैयार किया जावेगा जो बोर्ड द्वारा मुकरर किया जावे । ऐसे नक्शे की फीस बोर्ड द्वारा निर्धारित की जावेगी ।

३५. जार इन उपनियमों के उल्लंघन में कोई तामीर की गई हो तो चैरमेन को अख्तियार होगा कि पन्द्रह दिन का नोटिस देने पर जगह को हटाया जा सकेगा व जुमाना की स्कट की धारा के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी ।

चैरमेन, म्यूनिसिपल बोर्ड, जैसलमेर,

फार्म : अ :

परिशिष्ट - १,

उपनियम ४ : क : के अधीन,

सेवा में,

श्रीमान् अध्यक्ष । सचिव महोदय,
नगरपालिका, जैसलमेर,

: १ : में ----- पुत्र -----
जाति ----- मोहल्ला ----- वार्ड नम्बर ----- निवासी -----
----- इस प्रार्थना-पत्र के जरिये आपको यह सूचना देता
हूँ कि मैं वार्ड नम्बर ----- के मोहल्ले ----- की खाली जगह पर।
मकान नं० ----- को मकान बनवाने या फिर से खड़ा करने या कोई भाग
जोड़ी या परिवर्तन करने का इरादा करता हूँ ।

: २ : मैं निम्नलिखित चीजें साथ में लाता हूँ :-

१. स्वत्वाधिकार की नकल । अख्तियार नामा ।
२. जगह का नक्शा दो प्रतियों में नं० ----- : १ इंच - २० फीट से छोटा नहीं : जिनमें निम्न बातें दर्ज हैं :-
- क. उसकी ऊपर के मौजूदा और प्रस्तावित सब मकानों की और उससे संबंधित सब बाहरी मकानात की स्थिति प्रकार और उपयोग ।
- ख. मकान और बाहरी मकानों द्वारा रोकने जाने वाली जमीन का विस्तार।
- ग. मौजूदा पाखानों या टट्टियों की स्थिति और मोदी सपर्स का ढंग ।
- घ. निकटवर्ती सड़कों, रास्तों, पुलों, नालों और मकानों का वर्णन तथा नाम भी यदि कोई हो तो ।

च. जहाँ बनाने के लिये प्रस्तावित मकान किसी सड़क की सीमा पर मिलते हैं वहाँ ऐसी सड़क की चौड़ाई। जो यदि कोई मीरी हो तो उसके बाहरी किनारों और दोनों तरफ के मकानों की कतार के बीच नापी हुई हो।

३. ब. विस्तृत मुक्त नम्बरों में नम्बर----- : १ इंच- फीट से छोटा नहीं : जिनमें दिखलाये जाते हैं:-

क. नीचे की तह का नक्शा।

ख. पहिले फर्श और आगे के फर्श : अगर कोई हो तो : का नक्शा।

ग. कम से कम एक सीधा कटता हुआ विभाग।

घ. सामने के भाग की ऊंचाई।

४. में नीचे लिखी सूचना जोड़ता हूँ :-

क. सालाना नगरपालिका का टैक्स ----- रुपये।

ख. जगह का कुल विस्तार ----- वर्ग फीट या गज।

ग. मौजूदा और प्रस्तावित मकान का कुल विस्तार ----- वर्ग फीट।

घ. प्रस्तावित मकान की सीमा से मिलते हुए रास्ते या सड़क के बीच के ऊपर के मकान की कुल अधिकतम ऊंचाई ----- वर्ग फीट।

ङ. मकान के परले सिरों पर ऐसी सड़क या रास्ते की चौड़ाई ----- वर्ग फीट

च. जगह की नीची से नीची जगह ----- फीट सड़क की सतह ऊपर सीमा में सड़क की सतह से नीचे बनाई जमीन प्राकृतिक ----- फीट।

छ. ~~निम्न~~ नीचे की स्थिति।

ज. सड़क या रास्ते की सतह से ऊपर बुनियाद की या कुर्सी की ऊंचाई ----- फीट।